प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक 1075 /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक– 20 जुलाई, 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 39,06,000/– (रू0 उनतालिस लाख छः हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 14/2021/690/17–1002(002)/13/2019 दिनांक 02.07.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 39,06,000/– (रू0 उनतालिस लाख छः हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
6. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियॉं जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है / हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/— (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/— (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15 प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 के अनुदान सं0—17 के अधीन लेखा शीर्षक--2405- मछली पालन 101—अन्तर्देशीय मछली पालन— 04—मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408-- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02 मजदूरी, 09—विद्युत देय, 39—औषधि तथा रसायन, 42—अन्य व्यय, 43—सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—(132) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /नि0शा0/16 19(6)/2021—22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3— उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4-- सबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5-- उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6-- गार्ड फाइल।
7 वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक– 20 जुलाई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 39,06,000/– (रू0 उनतालिस लाख छः हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 14/2021/690/17–1002(002)/13/2019 दिनांक 02.07.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 39,06,000/– (रू0 उनतालिस लाख छः हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1 धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5 स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

6 कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

9 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11. वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/— (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/— (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 के अनुदान सं0—17 के अधीन लेखा शीर्षक—2405—मछली पालन 101—अन्तर्देशीय मछली पालन— 04—मत्स्य विकास कार्यकम, 0408— विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02—मजदूरी, 09—विद्युत देय, 39—औषधि तथा रसायन, 42—अन्य व्यय, 43—सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—(132) पर अंकित है।

भवदीया,

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1075 /नि0शा0/16 19(6)/2021—22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3- उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..........................
5— उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6 गार्ड फाइल।
7 - वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022
आवंटनदिनांक-17/07/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-SPAN SE FRI ALLOTMENT 16-7-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
04 -
08 - विभागीयमत्स्यप्रक्षेत्रोंकासुदृढीकरण

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		02-मजदूरी	09-विद्युतदेय	39-औषधितथारसायन	42-अन्यव्यय	43-सामग्रीएवंसम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 750	4630 4630	1492 1492	2648 2648	22734 22734	32254 32254
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	1000 1000	5500 5500	1989 1989	4422 4422	30312 30312	43223 43223
3	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 1000	0 0	1989 1989	11703 11703	30312 30312	45004 45004
4	मैनपुरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	313 313	0 0	622 622	3657 3657	9472 9472	14064 14064
5	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 750	0 0	1492 1492	8777 8777	22734 22734	33753 33753
6	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 625	0 0	1243 1243	7315 7315	18945 18945	28128 28128
7	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2126 2126	6500 6500	4227 4227	16264 16264	64412 64412	93529 93529
8	इटावा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	875 875	5485 5485	1740 1740	2979 2979	26523 26523	37602 37602
9	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1876 1876	6000 6000	3729 3729	14000 14000	56834 56834	82439 82439
10	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5627 5627	11500 11500	11188 11188	50606 50606	170502 170502	249423 249423
11	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --16-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -प्रतापगढ़	वर्तमान प्रगामी	4376 4376	11000 11000	8702 8702	36639 36639	132613 132613	193330 193330

12	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2251 2251	0 0	4475 4475	26332 26332	68201 68201	101259 101259
13	जालौन-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 625	3775 3775	1243 1243	2317 2317	18945 18945	26905 26905
14	बांदा -2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 625	0 0	1243 1243	7315 7315	18945 18945	28128 28128
15	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	4376 4376	28425 28425	8702 8702	13570 13570	132613 132613	187686 187686
16	मिर्ज़ापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5001 5001	15500 15500	9945 9945	37996 37996	151558 151558	220000 220000
17	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -देवरिया	वर्तमान प्रगामी	625 625	0 0	1243 1243	7315 7315	18945 18945	28128 28128
18	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 750	0 0	1492 1492	8777 8777	22734 22734	33753 33753
19	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --26-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - सन्तकबीरनगर	वर्तमान प्रगामी	1876 1876	11825 11825	3729 3729	6289 6289	56834 56834	80553 80553
20	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 1000	5840 5840	1989 1989	3972 3972	30312 30312	43113 43113
21	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --15-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -बलिया	वर्तमान प्रगामी	3376 3376	21585 21585	6713 6713	10922 10922	102301 102301	144897 144897
22	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	0 0	2486 2486	14629 14629	37889 37889	56254 56254
23	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	3751 3751	24000 24000	7459 7459	12114 12114	113668 113668	160992 160992
24	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2126 2126	0 0	4227 4227	24869 24869	64412 64412	95634 95634
25	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2501 2501	16600 16600	4972 4972	7281 7281	75779 75779	107133 107133
26	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3126 3126	20375 20375	6216 6216	9598 9598	94723 94723	134038 134038

27	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	5001 5001	6500 6500	9945 9945	49911 49911	151558 151558	222915 222915
28	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	3126 3126	0 0	6216 6216	36573 36573	94723 94723	140638 140638
29	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	3751 3751	0 0	7459 7459	43887 43887	113668 113668	168765 168765
30	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3751 3751	0 0	7459 7459	43887 43887	113668 113668	168765 168765
31	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	250 250	1210 1210	497 497	1324 1324	7578 7578	10859 10859
32	सिद्धार्थनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2251 2251	0 0	4475 4475	26332 26332	68201 68201	101259 101259
33	महोबा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1125 1125	0 0	2238 2238	13166 13166	34100 34100	50629 50629
34	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6252 6252	40750 40750	12431 12431	19197 19197	189447 189447	268077 268077
35	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 625	0 0	1243 1243	7315 7315	18945 18945	28128 28128
	योग	वर्तमान प्रगामी	78709 78709	247000 247000	156510 156510	593898 593898	2385140 2385140	3461257 3461257

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया चौंतीसलाखइकसठहजारदोसौसत्तावन

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया चौंतीसलाखइकसठहजारदोसौसत्तावन

वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022
आवंटनदिनांक-18/07/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-FRY SE FINGER LING ALLOTMENT 16-7-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
04 -
08 - विभागीयमत्स्यप्रक्षेत्रोंकासुदृढ़ीकरण

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		02-मजदूरी	09-विद्युतदेय	39-औषधितथारसायन	42-अन्यव्यय	43-सामग्रीएवंसम्पूर्ति	योग
1	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 3401	1250 7750	845 5072	17994 34258	46903 111315	68267 161796
2	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप -निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1915 4166	0 0	1264 5739	29476 55808	70346 138547	103001 204260
3	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1275 5026	1250 25250	845 8304	17994 30108	46903 160571	68267 229259
4	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक -मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	638 3139	0 16600	423 5395	9825 17106	23451 99230	34337 141470
5	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1275 6276	1250 7750	845 10790	17994 67905	46903 198461	68267 291182
6	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	638 3764	0 0	423 6639	9825 46398	23451 118174	34337 174975
7	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 7527	1250 42000	845 13276	17994 37191	46903 236350	68267 336344
	योग	वर्तमान प्रगामी	8291 33299	5000 99350	5490 55215	121102 288774	304860 1062648	444743 1539286

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया चारलाखचौवालीसहजारसातसौतियालीस
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया पन्द्रहलाखउनतालीसहजारदोसौछियासी

(पूजा [illegible])
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु निर्गत किये जाने वाली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव (धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य	02– मजदूरी	09– विद्युत	39– औषधि	42– अन्य मद	43– सामग्री सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	स्पान से फ्राई मत्स्य उत्पादन								
1	आगरा	लड़ामदा	8.00	1000	0	1989	11703	30312	45004
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.50	313	0	622	3657	9472	14064
3	आजमगढ़	अजमतगढ़	8.00	1000	5840	1989	3972	30312	43113
4	मऊ	हाजीपुर	2.00	250	1210	497	1324	7578	10859
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	27.00	3376	21585	6713	10922	102301	144897
6	प्रयागराज	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	5627	11500	11188	50606	170502	249423
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	15.00	1876	6000	3729	14000	56834	82439
8	प्रतापगढ़	बेल्हा	35.00	4376	11000	8702	36639	132613	193330
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
10	इटावा	कर्वाबुजुर्ग	7.00	875	5485	1740	2979	26523	37602
11	देवरिया	खुखुन्दू	5.00	625	0	1243	7315	18945	28128
12	कुशीनगर	गंगेलवा	5.00	625	0	1243	7315	18945	28128
13	बस्ती	शंकरपुर	6.00	750	0	1492	8777	22734	33753
14	संतकबीरनगर	तामा	15.00	1876	11825	3729	6289	56834	80553
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	18.00	2251	0	4475	26332	68201	101259
16	बांदा	नहरी	5.00	625	0	1243	7315	18945	28128
17	महोबा	किडारी	9.00	1125	0	2238	13166	34100	50629
18	झांसी	गुरूसराय	18.00	2251	0	4475	26332	68201	101259
19	जालौन	आंटा	5.00	625	3775	1243	2317	18945	26905
20	ललितपुर	माताटीला	30.00	3751	0	7459	43887	113668	168765
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	25.00	3126	0	6216	36573	94723	140638
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	3751	0	7459	43887	113668	168765
23	गोण्डा	पूरे तिवारी	40.00	5001	6500	9945	49911	151558	222915
24	बरेली	लम्बाखेड़ा	6.00	750	0	1492	8777	22734	33753
25	शाहजहांपुर	बलेली	17.00	2126	6500	4227	16264	64412	93529
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	625	0	1243	7315	18945	28128
27	बागपत	सरूरपुर	8.00	1000	5500	1989	4422	30312	43223
28	लखनऊ	भैंसामऊ	10.00	1250	0	2486	14629	37889	56254
29	उन्नाव	नवाबगंज	30.00	3751	24000	7459	12114	113668	160992
30	सीतापुर	सुरैचा	17.00	2126	0	4227	24869	64412	95634
31	हरदोई	संडीला	20.00	2501	16600	4972	7281	75779	107133
32	लखीमपुर खीरी	घरेथनिया	25.00	3126	20375	6216	9598	94723	134038
33	जौनपुर	गूजरताल	35.00	4376	28425	8702	13570	132613	187686
34	मिर्जापुर	बघौड़ा एवं समोग्रा	40.00	5001	15500	9945	37996	151558	220000
35	संतरविदास नगर	विकमपुर	50.00	6252	40750	12431	19197	189447	268077

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0

36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	6.00	750	4630	1492	2648	22734	32254
		उप योग–	**629.50**	**78709**	**247000**	**156510**	**593898**	**2385140**	**3461257**
ख	फ्राई से फिंगरलिंग मत्स्य उत्पादन								
1	झांसी	गुरूसराय	1.50	1915	0	1264	29476	70346	103001
2	सुल्तानपुर	तौकलपुर	0.50	638	0	423	9825	23451	34337
3	गोण्डा	पूरेतिवारी	1.00	1275	1250	845	17994	46903	68267
4	शाहजहांपुर	बलेली	1.00	1275	1250	845	17994	46903	68267
5	उन्नाव	नवाबगंज	1.00	1275	1250	845	17994	46903	68267
6	हरदोई	संडीला	0.50	638	0	423	9825	23451	34337
7	संतरविदास नगर	विकमपुर	1.00	1275	1250	845	17994	46903	68267
		उप योग–	**6.50**	**8291**	**5000**	**5490**	**121102**	**304860**	**444743**
		कुल योग (क+ख)–	**636.00**	**87000**	**252000**	**162000**	**715000**	**2690000**	**3906000**

(अनिल कुमार गुप्ता)
स... निदेशक मत्स्य

(एस० के० सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ०प्र०

327/नि०२/15
06-7-2021

संख्या-14/2021 /690/17-1002(002)/13/2019

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

(5)

DD(P)

05-07-21
(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0 प्र0

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ :दिनांक:02 जुलाई,2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 39.06 लाख (रू0 उन्तालीस लाख छः हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/नि0शा0/2021-22 दिनांक 20 मई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद में रू0 173950, 09- विद्युत देय मद में रू0 504000, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 162900, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1080141, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत धनराशि रू0 2690759 अर्थात कुल धनराशि 46.11750 लाख (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20 मई, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद में रू0 0.87 लाख, 09 -विद्युत देय मद में रू0 2.52 लाख, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 1.62 लाख, 42-अन्य व्यय मद में रू0 7.15 लाख, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 26.90 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 39.06 लाख

(3)
नि0शा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06-7-21
जय कुमार शुक्ला
उप निदेशक मत्स्य (नियोजन)

(रू0 उन्तालीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(6) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39-औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- निर्गत की जा रही धनराशि रू0 39.06 लाख का सम्बंधित जनपदों में आवंटन निदेशक मत्स्य के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या-292189, दिनांक 07 जून 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 02-07-2021 17:18:25
Reason: Approved

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव ।

संख्या -14/2021 /690(1)/17-1002(002)/13/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

7- गार्ड फाइल ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।